

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911] No. 911] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 31 दिसम्बर, 2016

## सं. 62/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि.1202(अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, परंतुक में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घघ) 1 जनवरी, 2017 को या उसके पश्चात उक्त सारणी के क्रम सं. 284क के सामने विनिर्दिष्ट माल;"।

> [फा.सं. 354/230/2013-टीआरयू] अनुराग सहगल, अवर सचिव

6053 GI/2016 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 61/2016-सीमा शुल्क, तारीख 27 दिसंबर, 2016 सा.का.नि. 1173(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया था।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2016

#### No. 62/2016-Customs

**G.S.R. 1202(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17<sup>th</sup> March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, in the proviso, after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:-

"(dd) the goods specified against serial no. 284A of the said Table on or after the first day of January, 2017;".

[F. No. 354/230/2013-TRU] ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 61/2016-Customs, dated the 27<sup>th</sup> December, 2016, published *vide* number G.S.R. 1121 (E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2016.